# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व वाद सं. 105/2014
तारीख दायरा 04.12.2014
तारीख आदेश 04.02.2016

| वादीगणः– | बनामः | प्रतिवादीगणः– |
|---|---|---|
| 1–पेसीया उर्फ पेसाराम पुत्र पुनारामजी<br>2–तारीया उर्फ ताराराम पुत्र पुनारामजी<br>जातिगण घांची निवासीगण खिवान्दी<br>तहसील सुमेरपुर | | 1–दीपीबाई बेवा पुनारामजी<br>2–पुखराज पुत्र पुनारामजी<br>जातिगण घांची निवासीगण खिवान्दी<br>3–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर |

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act,1955

उपस्थितः–
1–वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल सोनी
2–प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतराम सोलंकी

## –: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 04.02.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

(1) कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा खिवान्दी तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल खसरा नं. 27 रकबा 1.35 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम लगान रूपए 14.18 आयी हुई है जिसमें प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 का 1/4 – 1/4 हिस्सा खातेदारी का आता है, परन्तु इस कृषि भूमि का मौके पर व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत खातेदारों के मध्य बंटवाडा किया हुआ नहीं है जिससे वादीगण को अपने हक–हिस्से व बंट की खातेदारी कृषि भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व बाधा पैदा है तथा प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का रेकर्ड व मौके पर बंटवाडा करवाना नहीं चाहते है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में खातेदारों के मध्य हक–हिस्सा मुजब बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाने, राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व तरमीम करवाने एवं वादीगण के बंट की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करावे। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि की हाल जमाबंदी संवत् 2068–71 पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया व प्रतिवादी सं.01 व 02 ने जवाबदावा व विशेष कथन दर्शाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 के पिता/पति स्व.पुनारामजी की खातेदारी दर्ज थी, जिसका पारिवारिक समझौता से गत् 20 वर्षो पूर्व बंटवाडा होकर सभी खातेदार मौके पर अलग–2 काबिज व काश्त कर रहे है, इसलिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग–2 अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं.03 सरकार प्रतिनिधि ने भी अपने जवाब में वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदारों की सहमति के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाने जाने के लिए निवेदन किया है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

(3) कि हमने, उभयपक्षीय अधिवक्ताओं की बहस दलील को सुना, साथ पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप हमने पाया वादपत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम खिवान्दी की हाल जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं. 251 में दर्ज प्रविष्ठि अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, साथ ही पक्षकारों के मध्य उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 का 1/4 – 1/4 हिस्से के अनुसार एवं मौके पर कब्जे काश्त माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाने व राजस्व रेकर्ड में अलग–2 इन्द्राज करवाने हेतु सहमत है। इसलिए हमारे विविध मतानुसार कथित वादपत्र स्वीकार किया जाकर उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदारों के मध्य माफिक हक–हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खिवान्दी तहसील सुमेरपुर मे स्थित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 27 रकबा 1.35 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम लगान रूपए 14.18 का खातेदारों अर्थात प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 का 1/4 – 1/4 हक–हिस्सा माफिक व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी खिवान्दी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशानुसार प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर यथासमय पर न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। माफिक आदेश प्राथमिक डिक्री–पर्चा जारी हो।

निर्णय बरोज आज दिनांक 04.02.2015 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner